19.6.18 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प लुहारी से पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो एक है जो शामिल पत्रावली है। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान विवादित आराजी में अपना 1/2 हिस्सा बताकर खाता घोषणा व बटवारा चाहते हैं तथा तब तक गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते हैं। गैरसायलान इनकारी होते हुये सायलान का कोई हक नहीं होना कह कर आये हैं। सायल व गैरसायल अपने-अपने हिस्सा आराजी पर काबिज होना कह कर आये हैं। विवादित आराजी में सायलान का खातेदार बनता है अथवा नहीं यह तो मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर तय किया जायेगा। फिलहाल आराजी पर अनावश्यक विवाद ना बढ़े इसलिये उभयपक्ष को वर्तमान स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सायलान एवं गैरसायलान उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित अराजी खसरा नम्बर 853 ग्राम सांडा की रिकार्ड व मौका की वर्तमान स्थिति को मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)	